रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 1971/अग्रहायण 18, 1893
No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 1971/AGRAHAYANA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th December, 1971

SUBJECT:—*Schedule of conditions relating to the issue of licences for imports under the U.K./India Maintenance Loan,* 1971.

No. 170-ITC(PN)/71.—The terms and conditions governing the issuance of licences under the U.K./India Maintenance Loan 1971 dated 18th November 1971 as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information of the trade.

SUBJECT:—*Schedule of conditions governing import licences for imports under U.K./India Maintenance Loan,* 1971.

The import licence will be valid for imports only from the U.K. of goods or materials wholly or mainly produced or manufactured in the U.K. It should be ensured while placing a contract against the licence that the non-U.K. element, if any, should not exceed 20 per cent of the FOB value of the contract as otherwise the payments arising out of such a contract may become ineligible for financing under the U.K. Loan.

2. The licence will be valid for a period of twelve months. All payments must be completed within a month of the expiry of the licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. Credit facilities, when offered by suppliers can be availed of upto 90 days from the date of shipment provided no interest charges are payable for the credit extended (directly or indirectly) and all payments are completed within the period indicated herein.

3. Each import licence number will contain a suffix "ML" and the full licence number including this suffix and the date of the licence should be entered in all the documents required to be submitted to the Government in connection with the imports under the licence. However, where an import licence is issued with reference to the sum of £3 million earmarked within the U.K./India Maintenance Loan 1971 for allocations under the import policy for Actual Users to British-oriented industrial units, firms etc., and for British-oriented Established Imports the licence witll be affixed with the rubber-stamp "U.K./India Maintenance Loan, 1971—£3 million Kipping Segment" (This will be in addition to the suffix ML mentioned above).

N.B.—The payment procedure and the documentation laid down in paragraphs 5 and 6 below will apply to allocations under the £3 million Segment also.

Firm orders on C.I.F. or C. & F. basis (FOB/FAS if so desired by Government Departments, public sector undertakings) must be placed on the supplier in the U.K. (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man) within four months from the date of issue of the import licence. The authorised dealers in foreign exchange will not allow remittance or facility to establish letters of credits unless satisfactory documentary evidence is produced by the licensee indicating that orders have been placed within the prescribed period of four months. In cases where orders could not be placed within this period, the licensee should approach the licence-issuing authority with detailed justification for getting the prescribed period for ordering suitably extended. Only on production of a letter from the licence-issuing authority, indicating the extension of the period for ordering, would the authorised dealers in foreign exchange allow the facility of remittance or establishing letters of credit in cases where orders have not been placed within the first four months. The same drill will apply to cases of subsequent extensions also.

5. Payments to the U.K. Suppliers can be arranged through normal banking channels, by making remittances. Any payments towards Indian agent's commission should be made in rupees in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

6. For obtaining reimbursement under the loan, the Government of India have to furnish to the U.K. authorities a copy of the Form 'A' (Reserve Bank application form for a remittance in foreign currency) duly completed and bearing the signature of a bank in India certifying the payments that have been authorised by that bank, and supported by a copy of a certificate of origin from the contractor in the U.K., duly signed by him, in the form set out in Appendix 'B' or Appendix B (Chemicals) whichever is appropriate. Specimens of these certificates are attached as Annexure I and Annexure II respectively. The licensee should arrange to obtain from the supplier in the U.K. adequate number of copies or photostat copies of the appropriate certificate of origin, so that each time a payment is arranged a copy of the certificate of origin duly signed can be attached to the Form 'A' which, together with a copy of the appropriate certificate of origin, will be sent to the Ministry of Finance by the authorised dealer. The authorised dealer will ensure that in respect of each payment the Form 'A' duly completed and a copy of the supporting certificate of origin (duly signed by U.K. contractor) are sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi-1 under advice to the importer as soon as the payment is made. It must be ensured that all the appropriate columns in Form 'A' are filled in correctly and completely. The full licence number (including the suffix 'ML' and an indication whether the licence relates to the 3 million Kipping Segment) and the date thereof should appear on each Form 'A' without fail. The certificate by the Authorised dealer should clearly bring out the name of the foreign bank through which the payment has been made to the supplier and the date on which the payment has been authorised. None of the important columns in Form 'A' or the certificate of origin should be left blank.

NOTE.—These arrangements do not absolve the licensee of his responsibility to ensure that all Forms 'A' are forwarded from time to time by the banks to the Ministry of Finance as indicated above.

7. A monthly report, as in Annexure III, showing the utilisation status of the licence, should be furnished to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Economic Aid Accounts Branch, (CAA), Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi-1, until the licence is fully utilised with a copy each to WE II Section, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), North Block, New Delhi.

8. If any refunds are received by the licensee from the supplier, the shipper or the insurer, a full report showing the amounts received, together with other relevant particulars, should be sent to the Ministry of Finance at the address indicated in clause 7 above, as and when such refunds are received. The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure IV.

9. It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

10. The licensee shall promptly comply with any drections, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

11. Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Import and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

APPENDIX B

UNITED KINGDOM/INDIA MAINTENANCE LOAN 1971
CERTIFICATE OF ORIGIN

Particulars of Contract

1. Date of Contract.——————2. Contract No.——————
3. Import Licence No.——————Date——————
4. Description of goods or services supplied to the purchaser——————

(If a number of items have been supplied, a detailed list should be appended to this certificate

5. Total contract price paid by purchaser (state CIF, C&F or FOB) £——————
If goods have been supplied the following sections must be completed.
(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer)

6. Estimated % of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.

(a) %FOB value——————
(b) Description of items and brief specifications——————

7. If any raw material or components used originated from abroad, e.g., copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:—

(a) FOB value——————
(b) Description of items and brief specification——————

If Services have been supplied the following section should also be completed.

8. State the estimated value of any work done or services performed in the purchaser's country by—

(a) Your firm (site engineers charges, etc.)——————
(b) Local contractor——————

9. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7 or 8 above——————

10. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin have been supplied by the Contractor otherthan those specified in paragraphs 6, 7, 8 and 9 above.

Signed——————
Position held ——————
Name & Address of contactor——————
——————
Date——————

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Island and the Isle of Man.

ANNEXURE II

APPENDIX B (CHEMICALS)

UNITED KINGDOM/INDIA MAINTENANCE LOAN, 1971
CERTIFICATE OF ORIGIN FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract——————Contract No——————Import Licence No————
——————————————Date——————————————

2. Description of Product(s) supplied to Purchaser. (Note A)	Price	U.K. Tarriff Classification No. (Note B)	Is the product of U.K. origin? (*See* Note C) State 'Yes' or 'No'

3. Total contract Price payable by Purchaser in sterling £————————.

4. (Declaration)—I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed————————————————
Position held————————————————
Name & Address of Contractor————————
————————————————

Date————————

NOTE

NOTE A.—This form is only to be used for chemicals and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapters 15, 25, 28, 35 and 37—40 of the U. K. Tariff.

NOTE B. See—

(i) H. M. Customs & Excise Tariff H.M.S.O.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature H.M.S.O.

NOTE C.—(i) A product is regarded as of 'UK origin' if made *either wholly* from indigenous UK materials OR according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', H.M.S.O.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised/that the 'alternative percentage criterion' DOES NOT APPLY

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Government of the United Kingdom.

NOTE D.—For the purpose of this declaration the United Kingdom include the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

FORM OF UTILISATION REPORT IN RESPECT OF U.K. CREDITS

(to be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importing Firm.
2. Particulars of U.K. Credit.
3. No. & Date of the Import Licence.
4. Value of the Import Licences.
5. Value of orders placed.
6. Value of orders yet to be placed.
7. Payments made to the U.K. suppliers (upto-date).
8. Payments yet to be made with a quarterly estimate of payments (with values and anticipated dates of payment).
9. Value of the complete documents (Form 'A') forwarded so far to the Ministry of Finance.
10. Surrenders, if any.

Signature of the authorised officer
of the Importing Firm.

ANNEXURE IV

REPORT SHOWING DETAILS OF REFUNDS RECEIVED FROM SUPPLIERS/SHIPPERS/INSURERS (TOWARDS SETTLEMENT OF CLAIMS FOR SHORT LANDINGS, DAMAGES ETC.) IN RESPECT OF IMPORTS FROM U.K. UNDER UK/INDIA MAINTENANCE LOAN, 1971

(Only for claims settled in £ Sterling)

1. Name of importing firm.
2. Particulars of U.K. Credit.
3. No. and Date of import licence.
4. Value of import licence.
5. Amount of refund received.
6. Nature of refund. (give brief details).
7. Reference to the relative Forms 'A' under which payment was made initially to the U.K. Suppliers (indicate name of Indian Bank and reference to their letter No. and date forwarding form 'A' to Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not, confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.
9. Remarks.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दल्ली, 9 दिसम्बर, 1971

विषय :—यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1971 के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित शर्तों की अनुसूची

संख्या 170 आई० टी० सी० (पी० एम०)/71.—इस सार्वजनिक सूचना के लिए परिशिष्ट में दिए गए के अनुसार यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण 1971 दिनांक 18—11—1971 के अन्तर्गत लाइसेंसों को जारी करने के लिए लागू होने वाली शर्तों को व्यापारी की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है ।

परिशिष्ट

विषय :—यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण 1971 के अन्तर्गत आयातों के लिए आयात लाइसेंसों को जारी करने के लिए लागू होने वाली शर्तों की अनुसूची

आयात लाइसेंस केवल यू० के० से यू० के० में पूर्णतया या मुख्यतया उत्पादित अथवा निर्मित माल या सामान के आयात के लिए वैध होंगे । यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जब लाइसेंस के लिए संविदा की जा रही हो और यदि कोई गैर यू० के० वस्तु शामिल की जा रही हो तो उसे संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा होता है तो ऐसी संविदा को किया जाने वाला भुगतान यू० के० ऋण के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए जाने योग्य नहीं हो सकता ।

2. लाइसेंस 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा । सभी भुगतानों को लाइसेंस अवधि की समाप्ति के 1 महीने भीतर पूर्ण कर देना चाहिए । अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोत-लदान पर होनी चाहिए । जब साख सुविधाएं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाती है वे पोत-लदान की तिथि से 90 दिनो तक उपलब्ध की जा सकती है बशर्ते कि बढ़ाए गए ऋण (प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) के लिए किसी प्रकार का ब्याज-खर्च चुकाने के लिए न हो तथा सभी भुगतान इसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण किए गए हो ।

3. प्रत्येक आयात लाइसेंस संख्या में एक प्रत्यय "एम एल" होगा और इस प्रत्यय सहित पूरी लाइसेंस संख्या तथा लाइसेंस की तारीख इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के सम्बन्ध में सरकार को दिए जाने वाले सभी प्रलेखों में लिख दी जानी चाहिए । लेकिन जहां यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1971 के भीतर 30 लाख पौंड निशान की राशि के सन्दर्भ में आयात नीति के अन्तर्गत ब्रिटेन अनुस्थापित औद्योगिक एककों, कम्पनियो आदि के लिए वास्तविक उपभोक्ताओ को आवंटन के लिए आयात लाइसेंस जारी किया जाता है तो लाइसेंस पर रबर स्टाम्प से यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1971—भाग 30 लाख पौंड "विपिंग सिगमेंट" जोड़ा जाएगा यह उपर्युक्त प्रत्यय "एम एल" के अतिरिक्त होगा ।

विशेष ध्यान दीजिए :—नीचे के कडिका 5 तथा 6 में निर्दिष्ट भगतान क्रियाविधि तथा प्रलेख—घोषण "30 लाख पौंड सिगमेंट" के अन्तर्गत बटवारो के लिए भी लागू होंगे ।

4. लागत बीमा-भाड़ा या लागत-भाड़ा (जहाज पर निःशुल्क/जहाज तकनिःशुल्क, यदि सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ऐसा वांछित है) के आधार पर यू० के० (जिस अभिव्यक्ति में चेनल द्वीप तथा आइल आफ मैन शामिल है) में आपूर्तिकर्त्ता को लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर फर्म आदेश दे देने चाहिए। जब तक लाइसेंसधारी द्वारा यह निर्दिष्ट करते हुए कि माल के लिए आदेश चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर दिए गए हैं, सन्तोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है तब तक विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत व्यापारी धन-प्रेषण की अनुमति या साख-पत्र स्थापित करने की सुविधा नहीं देंगे। ऐसे मामलों में, जहां आदेश इस अवधि के भीतर न दिए जा सके हों, लाइसेंसधारी को उपयुक्त रूप से माल के लिए निर्धारित आदेश अवधि को बढ़ाने के लिए लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से औचित्यकरण के विस्तृत विवरण के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। केवल लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से माल के लिए आदेश देने की अवधि वृद्धि को दर्शाते हुए पत्र के प्रस्तुतीकरण पर, विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत व्यापारी ऐसे मामलों में जहां आदेश प्रथम चार महीनों की अवधि में नहीं दिए गए हैं, धन प्रेषण की सुविधा या साख-पत्र स्थापित करने की अनुमति देंगे। आगामी वृद्धि के मामलों में भी यही नियम लागू होगा।

5. यू० के० आपूर्तिकर्त्ताओं के भुगतानों की व्यवस्था सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन प्रेषणों द्वारा की जा सकती है। भारत में भारतीय अभिकर्त्ताओं के कमीशन का किसी प्रकार का भुगतान रुपये में करना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग बन जाएंगे और इसी कारण, वे लाइसेंस पर प्रभारित होंगे।

6. भारत सरकार को ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए फार्म "ए" की एक प्रति (विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण के लिए रिजर्व बैंक आवेदन-पत्र का फार्म) ब्रिटेन प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना है जो विधिवत् पूर्ण हो तथा भारत में जिस बैंक द्वारा भुगतान प्राधिकृत किए गए हैं उन भुगतानों को उस बैंक द्वारा प्रमाणित करते हुए बैंक के हस्ताक्षर सहित तथा परिशिष्ट 'बी' या परिशिष्ट 'बी' (रसायन) में से जो भी उचित हो उसमें निर्दिष्ट ब्रिटेन में संविदाकार से विधिवत् हस्ताक्षरित माल के उद्गम प्रमाण-पत्र की एक प्रति द्वारा समर्थित हो। इन प्रमाण पत्रों के प्रतिदर्श क्रमशः अनुबन्ध 1 तथा अनुबन्ध 2 के रूप में संलग्न हैं। लाइसेंसधारी को ब्रिटेन स्थित आपूर्तिकर्त्ता से उद्गम के उचित प्रमाणपत्र की प्रतियां या फोटो स्टेट प्रतियां पर्याप्त संख्या में प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि प्रत्येक बार भुगतान की व्यवस्था करते समय विधिवत् हस्ताक्षरित फार्म 'ए' के साथ संलग्न किया जा सके और जो उद्गम के उचित प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ प्राधिकृत व्यापारी द्वारा वित्त मन्त्रालय को भेजी जाएगी। जैसे ही भुगतान किया जाता है प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक भुगतान के लिए फार्म 'ए' विधिवत् पूर्ण है तथा माल उद्गम की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति आयातक को परामर्श देते हुए नियन्त्रक, सहायता लेखा, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), आर्थिक सहायता लेखा, शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–1 को भेजी गई है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फार्म 'ए' के सभी उचित कालम ठीक तथा पूर्णतया भरे गए हैं। लाइसेंस की पूर्ण संख्या (प्रत्यय 'एम एल' के साथ तथा यह निर्देशन कि लाइसेंस 30 लाख पौंड सेगमेंट से सम्बन्धित है या नहीं) तथा उसकी तिथि प्रत्येक फार्म 'ए' पर बिना किसी चूक के अवश्य दिखाई जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र में उस विदेशी बैंक का नाम जिसके मध्याम से आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया है तथा वह तिथि जिस दिन भुगतान का प्राधिकार दिया गया है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। फार्म 'ए' अथवा उद्गम प्रमाण-पत्र का कोई भी मुख्य कालम रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए।

टिप्पणी—ये व्यवस्थाएं लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित नहीं करतीं कि वे उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रपत्र 'ए' जो बैंकों द्वारा समय समय पर वित्त मन्त्रालय को भेजे जाते हैं, उसके उत्तरदायित्व से वह मुक्त है।

7. जब तक कि लाइसेंस का पूर्ण उपयोग न कर लिया जाए, तब तक उसके उपयोग की स्थिति को दर्शाते हुए अनुबन्ध—3 के अनुसार एक मासिक रिपोर्ट नियन्त्रक, सहायता लेखा वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) आर्थिक सहायता लेखा शाखा, (सी ए ए जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट, नई दिल्ली—1 को प्रस्तुत करनी चाहिए तथा एक प्रति प्रत्येक डब्ल्यू ई—2 अनुभाग, वित्त मन्त्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए ।

8. यदि लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्तिकर्ता, पोतवणिक या बीमाकर्ता से कोई धन वापसी प्राप्त होती है तो जैसे और जब ऐसी धन वापसी प्राप्त हो, इस धन-राशि को दर्शाते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट विस्तृत ब्यौरे के साथ उपर्युक्त खण्ड 7 में निर्दिष्ट पते पर वित्त मन्त्रालय को भेजनी चाहिए । धन वापसी सम्बन्धी रिपोर्ट अनुबन्ध 4 में दिए गए प्रपत्र के रूप में होनी चाहिए ।

9. यह जान लिया जाना चाहिए कि यदि लाइसेंसधारी तथा आपूर्तिकर्ता के बीच कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

10. आयात लाइसेंस से या इससे सम्बन्धित उत्पन्न किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करारों के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त अनुपालन करना होगा ।

11. उपर्युक्त धाराओं में घोषित की गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबन्ध—1

परिशिष्ट—ख

यू० के०/भारतीय अनरक्षण ऋण, 1971

उद्गम प्रमाण-पत्र

संविदा का विवरण

1. संविदा की तारीख..... 2 संविदा संख्या.....

3. आयात लाइसेंस संख्या..... तारीख.....

4. खरीददार को भेजे जाने वाले माल या सेवाओं का विवरण.....

.....

(यदि मदों की संख्या भेजी गई हो तो इस प्रमाण-पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए)।

5. खरीददार द्वारा चुकाई गई कुल संविदा कीमत (लागत बीमा भाड़ा और लागत भाड़ा या जहाज पर्यन्त निःशुल्क को बताएं) पौंड.....

यदि माल का सम्भरण हो चुका हो तो निम्नलिखित खण्डों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए :—

(यदि संविदाकर्त्ता केवल अभिकर्त्ता को निर्यात कर रहा है तो मांगी गई सूचना निर्माणकर्त्ता से प्राप्त की जानी चाहिए)।

6. उस माल का जहाजपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रतिशत का अनुमान लगाया गया जो यू० के० मूल के नहीं है किन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा बाहर से सीधे ही खरीदे गए हैं अर्थात् आयातित कच्चे माल या संघटक जो निर्माण के काम में आते हैं, उनका प्रतिशत।

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य.....

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टियकरण.....

7. विदेश मूल के यदि किसी कच्चे माल या संघटक का उपयोग किया जाता है जैसे ताम्बा, एस्बेस्टस, कपास, लकड़ी लुगदी आदि किन्तु संविदा-कर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गई है तो इन्हें विशिष्टिकृत करें :—

(क) जहाज पर्यन्त निःशुल्क.....

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टकरण .....

यदि सेवा प्रदान की जा चुकी है तो निम्नलिखित खण्डों का पूर्ति की जानी चाहिए —

.....

8. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निम्नादित सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं —

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभियान्त्र खर्च आदि).....

(ख) स्थानीय संविदाकर्त्ता .....

9. उपर्युक्त कंडिका 6, 7 या 8 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, अर्हक अंक दें.....

10. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार मुझे प्राप्त है। मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिक 6, 7, 8 और 9 में विशिष्टिकृत को छोड़ कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल्य के नहीं हैं संविदा के निष्पादन में सम्भरण नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित .....

ओहदा जिस पर वह है.....

संविदाकर्त्ता का नाम और पता.....

दिनांक .....

टिप्पण:—इस घोषणा के लिए यू० के०, दि चैनल आइलैण्ड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध—II

परिशिष्ट—ख (रसायन)

यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1971

केवल रसायन और सम्बद्ध उत्पादों के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तारीख.....संविदा संख्या .....आयात लाइसेंस संख्या.....दिनांक .....

2. खरीददार को भेजे गए उत्पाद (दों) का विवरण (टिप्पणी क)	पौण्ड कीमत	यू० के० सीमा शुल्क सूची वर्गीकरण संख्या (टिप्पणी ख)	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है ? (देखें टिप्पणी सी) हां या नहीं में बताएं ।

3. स्टर्लिंग में खरीददार द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल संविदा कीमत—पौं०.....

4. (घोषणा)—मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार मुझे प्राप्त है और यह कि उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित .....

ओहदा जिस पर वह है.....

तारीख..... संविदाकर्ता का नाम.....

टिप्पणियां

टिप्पणी—क. इस प्रपत्र का उपयोग केवल रसायनिक और सम्बद्ध उत्पादों के लिए किया जाना है जिसमें अधिकांशतः यू० के० की सीमा शुल्क सूची के चैप्टर 15, 25, 28, 35 और 37–40 के उपयुक्त उपशीर्षकों में शामिल कर ली जाती है ।

टिप्पणी—ख देखें:—

(1) एच एम सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क टैरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रुसल्स नोमेन्क्लेचर एच एम एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण ।

टिप्पणी—ग. (1) उत्पाद 'यू० के० मूल' के रूप में माना जाता है यदि वह या तो पूर्णतया देशी यू० के० सामग्री का बना है या उपयुक्त ई एफ टी ए अर्हक विधि के अनुसार आयातित सामग्री से पूर्णतया या आंशिक रूप में बना है ।

(2) ई एफ टी ए अर्हक विधियां "निर्यातकों के उपयोग के लिए इ एफ टी ए सार-संग्रह" एवं० एम० एस० ओ० की अनुसूची—1 में निर्धारित की गई हैं ।

(3) इस घोषणा के लिए इस बात पर जोर दिया जाना है कि "वैकल्पिक प्रतिशत माप-दण्ड" लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त अनुसूची में जहां कहीं "क्षेत्र मूल" शब्द आएं, उसे केवल "यू० के० मूल" से ही अर्थ लगाना चाहिए ।

(5) इस घोषणा के लिए "मौलिक सामग्री सूची" (ई एफ टी ए सार संग्रह की अनुसूची) लागू नहीं होती ।

(6) यदि विषयाधीन सामग्री के लिए अर्हक विधि सूचीबद्ध नहीं की जाती है तो यू० के० सरकार से सलाह लेनी चाहिए ।

टिप्पणी—घ. इस घोषणा के लिए यू० के०, दि चैनल आइलैण्डस और दि आइजल आफ मैन शामिल करता है ।

अनुबन्ध—3

यू० के० साख के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग-अलग भेजा जाना है)

1. आयात करने वाला फर्म का नाम ।
2. यू० के० साख का विवरण ।
3. आयात लाइसेंस की तारीख और संख्या ।
4. आयात लाइसेंस का मूल्य ।
5. दिए गए आर्डर का मूल्य ।
6. अब तक दिए गए आर्डर का मूल्य ।
7. यू० के० सम्भरकों को किए गए भुगतान (अब तक) ।
9. भुगतान (भुगतान के मूल्य और प्रत्याशित तारीख के साथ के आवधिक आकलन के साथ भुगतान अभी किया जाना है ।
9. वित्त मन्त्रालय को अब तक जो पूरे मूल्य के प्रलेख (प्रपत्र 'ए') भेजे गए हैं ।
10. अभ्यर्पण यदि कोई किया गया हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत—

अधिकारी के हस्ताक्षर :

अनुबन्ध—4

यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण 1971 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के सम्बन्ध में सम्भरकों/पत्तनिकों/बीमाकर्ताओं (जोड़ देर क ठहरने, टूट-फूट आदि के लिए दावों का निपटारा करने के लिए) से प्राप्त धन वापसी के ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्टज

(केवल पौण्ड स्टर्लिंग में निपटाए गए दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम ।
2. यू० के० साख का विवरण ।
3. आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख ।
4. आयात लाइसेंस का मूल्य ।
5. प्राप्त की हुई धन वापसी का मूल्य ।
6. धन वापसी किस प्रकार की थी । (संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए) ।
7. सम्बन्धित प्रपत्रों 'क' के लिए सन्दर्भ जिसके अन्तर्गत यू० के० सम्भरकों (भारतीय बैंक का नाम और वित्त मन्त्रालय को अग्रसरित किया गया प्रपत्र 'क' के सन्दर्भ में उनके पत्र-संख्या और तारीख) को प्रारम्भिक रूप में भुगतान किया गया था ।
8. माल की बदली के लिए प्राप्त की हुई धन वापसी का उपयोग किया जाता है या नहीं यदि नहीं किया जाता है तो इसकी पुष्टि कीजिए कि धन राशि वास्तव में प्राप्त कर ली गई है और उसको रुपये में भुना लिया गया है ।
9. टिप्पणियां ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971